संख्या:3/2017/1033/आठ-1-17-17विविध/17

प्रेषक,

शिवजनम चौधरी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2 निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ।

3 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

4 अध्यक्ष/सचिव,
समस्त विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, उ0प्र0।

5 निदेशक,
आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।

6 प्रबंध निदेशक,
उ0प्र0 सरकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लि0, 6-सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

7 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2017

विषय:ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने विषयक आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017, दिनांक 12 मई, 2017 का क्रपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जाब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन0आई0सी0 के ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्लेटफार्म http://etender.up.nic.in का प्रायोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जाब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध (Running Contract) एवं दर अनुबंध (Rate Contract) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने विषयक आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017, दिनांक 12 मई, 2017 के अनुसार सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जाब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध (Running Contract) एवं दर अनुबंध (Rate Contract) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

3- उपरोक्तानुसार सभी उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरणों, आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य सभी कार्यालयाध्यक्ष ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में प्रमाण-पत्र निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,
शिवजनम चौधरी
विशेष सचिव

संख्या-3/2017/1033(1)/आठ-1-17, दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों को सभी संबंधित को अवगत कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना संकलित कर दिनांक 10 जून, 2017 तक शासन को अवगत करायें।

आज्ञा से,
शिवजनम चौधरी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in